"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक -जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2013—श्रावण 4, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 9-7/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. के. गुप्ता, उप महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार सेवा, सी.जी.एम.टी. सी.जी. सर्कल, रायपुर की सेवाएं भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें बाद में जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्रमांक 586/329/अव./2013/1-8/स्था.—श्री हरीश कुमार उइके, स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग को दिनांक 21-05-2013 से 14-06-2013 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 तथा 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कुमार उइके आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री उइके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उइके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक 1505/1120/अव./2013/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 443-444/384/अव./2011/1-8/स्था, दिनांक 23-05-2013 द्वारा श्री पी.डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 01-06-2013 तक 06 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 2-14/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक-978/कृ.वि./2013, दिनांक 11-06-2013 द्वारा श्री आर. के. सिंह, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कृषि विभाग, मंत्रालय पदस्थ करता है.

2. श्री सिंह का वेतन संचालनालय, कृषि में समकक्ष रिक्त पद के विरुद्ध आहरित होगा.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 599/399/अव./2013/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 449-450/399/अव./2013/1-8/स्था, दिनांक 27-05-2013 द्वारा श्री एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग का दिनांक 27-05-2013 से 07-06-2013 तक 12 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त करते हुये दिनांक 03-06-2013 से 14-06-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. विभागीय आदेश दिनांक 27-05-2013 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 601/417/अव./2013/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 363-64/337/अव./2013/1-8/स्था., दिनांक 22-05-2013 द्वारा श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 01-06-2013 तक 06 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 02-06-2013 से 04-06-2013 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 22-05-2013 के अनुसार यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 603/478/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 07-06-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26-05-2013 तथा 08, 09-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 606/487/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आशीष कुमार भट्ट, विशेष सचिव, वन विभाग को दिनांक 13-06-2013 से 29-06-2013 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशीष कुमार भट्ट आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भट्ट को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-62/2012/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा नियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क्र. (1)	विभाग का नाम (2)	सेवा का नाम (3)	न्यूनतम आयु सीमा (4)	अधिकतम आयु सीमा (5)	विविध, शैक्षणिक अर्हताएं (6)	टिप्पणी (7)
1.	श्रम विभाग	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर यातायात अधिनियम)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		महिला समाज कार्यकर्ता	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि.	
3.		सहायक संचालक (सूचना एवं प्रकाशन)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा प्रकाशन कार्य का अनुभव.	
4.		अन्वेषण अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर.	
5.		सर्वे आफिसर	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य या गणित में सांख्यिकी के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर.	
6.		सहायक संचालक, औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरिंग या तकनीकी किसी भी शाखा में उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि जो राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की गई हो.	
7.		सहायक संचालक (चिकित्सा)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एम.बी.बी.एस.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिल होगी."

No. F 1/62/2012/16.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour (Gazetted) Service Rules, 1985, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule 8)

S. No.	Name of the Department	Name of Service	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Qualification	Ramarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Labour Department	Labour Officer (Chief Inspector, Motor Transport Act)	21 Year	30 Year	Bachelors Degree from any recognized University.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Women Social Worker	21 Year	30 Year	Bachelors Degree from any recognized University in Sociology.	
3.		Assistant Director (Information and publication)	21 Year	30 Year	Bachelors Degree from any recognised university and work experience in publications.	
4.		Invention Officer	21 Year	30 Year	Post Graduation from any recognized University in Economics, Commerce of Mathematics with IInd division in Statistics.	
5.		Survery Officer	21 Year	30 Year	Post Graduation from any recognized University in Economics, Commerce of Mathematics with IInd division in Statistics.	
6.		Assistant Director Industrial Health and Safety	21 Year	30 Year	Bachelors Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognized University or institution or equivalent Degree approved by the State Government.	
7.		Assistant Director (Medical)	21 Year	30 Year	MBBS from any recognized University or institution recognized by Indian Medical Council.	

Note :— The age limit shall be relaxed for the condidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State as per instruction issued by the General Administration Department from time to time."

रायपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्रमांक एफ 10-05/2013/16.—"भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 12 एवं 16 (1) सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) नियम 2008" के नियम 272 के उप नियम (2) के पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ-11/2/2012/16, दिनांक 18-07-2012 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/2012/16, दिनांक 20-07-2012 में निम्नांकित संशोधन करता है :—

(1) नियम 272 के उप नियम (2) में "तीन वर्ष के लिए एक रुपये" के स्थान पर "पांच वर्ष के लिए एक रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) "हितग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवकरण के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक 25 पैसे प्रति माह के मान से 3 वर्ष के लिए (अर्थात् रुपये 3/- एक वर्ष के लिए) रुपये 9/- अभिदाय शुल्क जमा" के स्थान पर,

"हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवकरण के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक 15 पैसे प्रतिमाह के मान से 5 वर्ष के लिए (अर्थात् रुपये 1.80/- एक वर्ष के लिए) रुपये 9/- अभिदाय शुल्क जमा करेगा."

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 10-06/2013/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकार के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :—

क्रमांक	कर्मकार का नाम
(50)	सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाईट मैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-39/2013/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नगर पंचायत सारागांव जिला जांजगीर-चांपा, के अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने हेतु निर्वाचन 2013 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 14-07-2013 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त जिला में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाय.

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	24-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	24-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
3.	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	24-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	मतदान	75-ग (एक)	14-07-2013	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
5.	मतगणना और निर्वाचन की घोषणा	75-ग (दो) 75-ज	16-07-2013	मंगलवार	प्रात: 9.00 बजे से

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक 5435/926/21-अ/स्थापना/छ.ग./2013.— छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर द्वारा श्री एम.बी. देशमुख, अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) का दिनांक 20-05-2013 से 07-06-2013 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-6/2006/XII.—राज्य शासन, एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-02/2011/1-3, दिनांक 08-05-2013 के परिप्रेक्ष्य में खनिज साधन विभाग के अन्तर्गत वेतनमान रु. 8000-275-13500/- (छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ग्रेड वेतन रु. 5400) के गैर राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) रेग्यूलेशन, 1997 के प्रयोजन हेतु उप-जिलाध्यक्ष पद के समकक्ष घोषित करता है :—

(1) सहायक भौमिकीविद्,
(2) खनि अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-31/2013/12.—भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के पत्र D. O. No. 13011/02/2011-CA-I (Vol. II) नई दिल्ली दिनांक 05-06-2013 के अनुसरण में राज्य में निजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक्स की प्रगति एवं संबंधित कैप्टिवयूज की परियोजना संयंत्र

जिस के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है की प्रगति बाबत् समीक्षा/मानीटरिंग हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन करता है :—

1.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग	सदस्य
5.	सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़	विशेष आमंत्रित
7.	सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग	सदस्य सचिव

भारत सरकार के प्रतिनिधि :—

1.	सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
2.	कोल कंट्रोलर, भारत सरकार अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सीएमडी, सीएमपीडीआई, भारत सरकार अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति राज्य में निजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लाक एवं उनके राज्य में स्थापित कैप्टिवयूज के संयंत्रों की समीक्षा/मानिटरिंग हेतु प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें आवंटितियों से जानकारी प्राप्त कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर समिति समीक्षा करेगी :—

(1) कोल ब्लाकों के विकास की प्रगति की समीक्षा

(2) कोल ब्लाकों से संबंधित कैप्टिवयूज की परियोजना/संयंत्र जिसके लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, की प्रगति की समीक्षा.

(3) आवश्यक एवं उचित समझे जाने पर कोल ब्लाक/एंडयूज प्रोजेक्ट की प्रगति की वस्तुस्थिति के संबंध में भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रेषित करना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7/13/1/2007 दिनांक 29-06-2009 द्वारा श्री मनोज डे को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(5) के तहत् नियुक्त किया गया है,

श्री मनोज डे, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग दिनांक 14-07-2013 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, तथा दिनांक 13 एवं 14 जुलाई, 2013 को शासकीय अवकाश है,

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोज डे को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) तहत् दिनांक 12-07-2013 को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के पद से पदमुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-7/2007/13/1.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 85(1) के तहत् राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-06-2013 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयनार्थ चयन समिति का गठन किया गया है,

चयन समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की गई है.

अत: चयन समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नारायण सिंह (भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक-एफ 3-60/2013/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाना/चौकी का नाम, तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-बुरगुम, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर	थाना-कोड़ेनार, तहसील-बास्तानार, जिला-बस्तर	बुरगुम	01
			मूतनपाल	01
		—,,—	मुसकोन्टा	01
		—,,—	सिलकजोड़ी	11
		—,,—	तितरी	01
		—,,—	दोकम	03
		—,,—	बिरगाली	03
		—,,—	बोरजा	03
		—,,—	पुषेम	03
		—,,—	वाहनपुर	04
		—,,—	लालागुड़ा	01
		—,,—	सरगीगुड़ा	02
		—,,—	तुरांगुर	02
		—,,—	जामगांव	03
		—,,—	पीरमेटा	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	थाना-पस्ता, जिला-बलरामपुर	थाना राजपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर.	चिलगा	23
			बासेन	06
		—,,—	जिगड़ी	06
		—,,—	लुरगी	23
		—,,—	परती	07
		—,,—	उलिया	07
		—,,—	उफिया	07
		—,,—	लदकुड़	06
		—,,—	महुडांड़	06
		—,,—	सावित्रिपुर	32
		थाना व तह.-बलरामपुर, जिला-बलरामपुर.	पस्ता	
			झलरिया	
		—,,—	पटवाबरदर	
		—,,—	पाढ़ी	
		—,,—	सीतारामपुरपाठ	
		—,,—	पुटसु	
		—,,—	सरगवां	
		—,,—	घाघरा	
		—,,—	कण्डा	
		—,,—	बटोरा	
3.	थाना-अलकाडोंगरी, जिला-धमतरी	थाना अजुनी, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी.	अलकाडोंगरी	58/21
			चिखली	58/21
		—,,—	माटेगहन	21
		—,,—	तिर्रा	21
		—,,—	कोलियारी	21
		—,,—	कोहका	58/21
		—,,—	कोडेगांव रैयत	58/21
		—,,—	कोडेगांव बी	60/23
		—,,—	पण्डरीपानी	59
		—,,—	आडाकोन्हा	21
		—,,—	सटियारा	58/21
		—,,—	मोंगरागहन	60/23
		—,,—	भेडावर	60
		—,,—	सिंघोला	23
		—,,—	बारगरी	60/23
		—,,—	किपनपुरी	24
		—,,—	अरौद पठान	61
		—,,—	हरफर	24
		—,,—	लमकेनी	23
		—,,—	कोसमी	05
		—,,—	मालगांव	52
		—,,—	पटेलगुडा	24
		—,,—	बरबांधा	61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-अजुनी, तहसील-धमतरी, जिला-धमतरी.	सिलतरा	24
			कलारबहरा	24
		—,,—	पहरिया कोना	24
		—,,—	पालागांव	24
		—,,—	भोथापारा	63
		—,,—	खाडादाह	वनग्राम
		—,,—	माडमसिल्ली	सिंचाईग्राम
		—,,—	कुरमाझर	04
		—,,—	छिंदभर्री	63
		—,,—	अमलीपारा	63
		—,,—	चनागांव	63
		—,,—	कादली	24
		—,,—	मोंगरी	25
		—,,—	उरपोटी	62
		—,,—	सुपली कोन्हा	वनग्राम
4.	थाना-कुरूषनार, जिला-नारायणपुर	थाना-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर	कुरूषनार	अनसर्वेड
		—,,—	टुटा	—,,—
		—,,—	जिवलापदर	—,,—
		—,,—	गुमियाबेडा	—,,—
		—,,—	हतलानार	—,,—
		—,,—	गुमबेडा उर्फ (गुजबेडा)	—,,—
		—,,—	कुमनार	—,,—
		—,,—	कोडोली	—,,—
		—,,—	बासिंग	—,,—
		—,,—	कुन्दला	—,,—
		—,,—	गरबेडा	—,,—
		—,,—	कन्दाडी	—,,—
		—,,—	घोड़ागांव	—,,—
		—,,—	रानिवेड़ा	—,,—
		—,,—	ब्रेहबेड़ा	—,,—
		—,,—	अंजरेल	—,,—
		—,,—	सिंगारबहार	—,,—
		—,,—	झाराबाही	—,,—
5.	थाना- अतरमरा (पाण्डुका) जिला-गरियाबंद.	थाना राजिम, तहसील छुरा, जिला गरियाबंद.	अतरमरा (पाण्डुका)	09
			सरकड़ा	9/18
		थाना -राजिम, तहसील -फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद.	कोपरा	30
			तर्रा	15/30
		—,,—	मुड़तराई	31
		—,,—	भेण्ड्री	16
		थाना-राजिम, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद.	पाण्डरीतराई	09
			कुरूद	09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-राजिम, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद.	सांकरा	16
			रवेली	09
		थाना-राजिम, तहसील-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद.	लोहरसी	35
			सहसपुर	34
		थाना-राजिम, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद.	कसेरूडीह	34
		थाना-राजिम, तहसील-फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद.	धुरसा	36
		थाना-राजिम, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद.	मुरमुरा	15
			दिवना	21
		—,,—	मोहतरा	20
		—,,—	कुम्हरमरा	15
		—,,—	अतरमरा	21
		—,,—	रजनकटा	17
		—,,—	खट्टी	9/12
		—,,—	गाड़ाघाट	16
		—,,—	पचपेढ़ी (धरकर्रा)	20
		—,,—	नागझर	20
		—,,—	बोड़रा बांधा	10
		—,,—	तौरंगा	21
		—,,—	कुकदा	19
		—,,—	पोड़	19
		—,,—	कुटेना	19
		—,,—	आसरा	20
		थाना-गरियाबंद, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद.	कोसमपानी	22
		थाना-गरियाबंद, तहसील-गरियाबंद जिला-गरियाबंद.	टोईयामुड़ा	46
			चिताईकोना	46
		—,,—	विजयनगर	46
6.	थाना-कबीरनगर, जिला-रायपुर	थाना-आमानाका, जिला-रायपुर	हीरापुर	107
		—,,—	जरवाय	107
		—,,—	अटारी	107
		—,,—	सोनडोंगरी	107
		—,,—	कबीरनगर	107
		—,,—	बाल्मिकी नगर	107
		—,,—	परमानंद नगर	107
		—,,—	अटल आवास	107

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	थाना-सेजबहार, जिला-रायपुर	थाना-टिकरापारा, तह. व जिला- रायपुर	सेजबहार	119
		—,,—	मुजगहन	—,,—
		—,,—	डोमा	—,,—
		—,,—	काठाडीह	—,,—
		—,,—	कान्दुल	—,,—
		—,,—	दतरेंगा	—,,—
		—,,—	डुण्डा	—,,—
		—,,—	जुलूम	—,,—
		—,,—	रवेली	—,,—
		—,,—	सोनपैरी	—,,—
		—,,—	टेकारी	—,,—
		—,,—	सलोनी	—,,—
		—,,—	छछानपैरी	—,,—
		—,,—	खिलोरा	—,,—
		—,,—	सिवनी	—,,—
		—,,—	घुसेरा	—,,—
		—,,—	भटगांव	—,,—
		—,,—	बोरिया	—,,—
		—,,—	धनेली	—,,—
		—,,—	मुडरा	119
8.	थाना-फरसपाल, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा.	थाना-दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा	फरसपाल	07
			आलनार	07
		—,,—	समलूर	07
		—,,—	सियानार	07
		—,,—	कुतूलनार	07
		—,,—	बिंजाम	07
		—,,—	मासोड़ी	06
		—,,—	मिड़कुलनार	14
		—,,—	केशापुर	14
		—,,—	गोदपाल	14
		—,,—	कंवलनार	14
		—,,—	भोगाम	04
		—,,—	पुरनतरई	14
		—,,—	मंगनार	15
		—,,—	फण्डेवार	15
		—,,—	झोड़ियाबाड़म	07
		थाना-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा	कुण्डेनार	07

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-1/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	जुराली	0.076	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर, छ.ग.	कटघोरा-जुराली मार्ग पर अहिरन सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 12 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मुरली	11.60	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	फुटामुड़ा जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर, एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 3 मई 2013

क्रमांक/26/अ 82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	चौरेल प.ह.नं. 26	0.07	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	पैरी-चौरेल मार्ग में तांदुला नदी पर पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 25 जून 2013

रा. प्र. क्र./10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	ओड़गी	आनंदपुर	1.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	आनंदपुर जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैयाथान के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 25 जून 2013

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	ओड़गी	भंवरखोह	14.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	आनन्दपुर जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैयाथान के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्रमांक/01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	गिधवा प.ह.नं. 24	0.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	गिधवा जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसव राजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्रमांक 5/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बढ़ावनडांड़ प.ह.नं. 24	9.287	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर.	सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्रमांक 6/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	ठेंगाडांड़ प.ह.नं. 24	3.053	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर.	सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्रमांक 7/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	गौरेला	गौरखेड़ा प.ह.नं. 24	3.270	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड, जिला- बिलासपुर.	सोनकछार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2013

क्रमांक 21/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बाकीघाट	2.683	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 जून 2013

क्रमांक 22/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उमरमरा	11.271	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक 25/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली	1.597	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2013

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बैरागी प.ह.नं. 17	1.760	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	सलखेता जलाशय योजना की शाखा नहर (परसा माइनर) हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोलाबुड़ा प.ह.नं. 21	0.216	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	किलकिला एनीकट योजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	सलिहाभांठा प.ह.नं. 34	0.278	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	सलिहाभांठा मांझापारा मार्ग के कि.मी. 1/4 पर सलिहाभांठा नाला के पुल व पहुंच मार्ग में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	अड़सेना प.ह.नं. 34	2	0.057	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	सारागांव व्यपवर्तन योजना हेतु.
			7	0.458		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			4-5	0.206		
			6	0.397		
			48/1	0.029		
		योग	6	1.147		

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सारागांव प.ह.नं. 83	151	0.194	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	सारागांव व्यपवर्तन योजना हेतु.
			644	0.004		
		योग	2	0.198		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 जून 2013

क्रमांक 1-अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनी, प.ह.नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.358 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	785/2	0.040
	785/3	0.024
	852/3	0.032
	857/3	0.186
	854/1	0.162
	855/1	0.028
	918/2	0.080
	784/2	0.024
	854/3	0.302
	856/4	0.053
	850/2, 851/2, 852/4, 857/4, 945/4, 946/3, 947/2, 971/3	0.121
	599/7	0.080
	599/6	0.020
	599/8	0.190
	603, 606, 607	0.016
योग	15	1.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 जून 2013

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-02 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-किरवई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.661 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1505	0.040
1506	0.028
1507	0.093
1542	0.081
1508	0.065
1517	0.028
1509	0.061
1515/2	0.004
1516	0.049
1518	0.109
1543	0.050

	(1)	(2)
	1560	0.073
	1552/1	0.024
	1559	0.036
	1567	0.004
	1587	0.243
	1568/1	0.113
	1568/2	0.069
	1568/3	0.061
	1579	0.036
	1585	0.008
	1588	0.012
	1589	0.020
	1590	0.028
	1593/2	0.048
	1592/1	0.069
	1592/4	0.040
	1592/2	0.040
	1592/3	0.044
	1632	0.085
योग	30	1.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चक्रवाही वितरक नहर की किरवई माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17-अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-घोंच
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.70 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1108	0.03
	1109	0.07
	1110	0.03
	1111	0.02
	1112	0.02
	1119	0.09
	1161	0.24
	1163	0.13
	1164	0.01
	1168	0.02
	1169	0.02
	1170	0.01
	1172	0.01
योग	13	0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंच-बेलर मार्ग पर सुखा नाला में पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./06/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-रायपुर खास, प.ह.नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1419.00 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
1399/8, 1399/17, 1399/18, 1404/10, 1404/6, 1404/7, 1409/1, 1410/1, 1411/1	290.00
1404/1	344.40
1399/31, 1399/32, 1399/33, 1404/16, 1404/17, 1409/6, 1410/4, 1411/4	289.60
1404/3	495.00
योग 4	1419.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पहाड़ी तालाब कुशालपुर से रिंग रोड होकर खारून नदी (चिंगरी नाला) तक नाला निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-2, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 01 जुलाई 2013

क्रमांक/4482/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-सालिकझिटिया, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.018 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.097
2/2	0.057
16/4	0.041
3	0.338
4/1	0.057
5	0.257
4/2	0.041
26/3	0.073
7/2	0.265
54/2	0.004
13	0.341
15/2	0.016
20/3	0.004
20/1	0.004
62	0.045
63	0.008
10/1	0.032
60	0.217
7/1	0.121
योग 19	2.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 01 जुलाई 2013

क्रमांक/4483/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम डोंगरगढ़ नजूल शहर शीट क्रमांक 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 999 वर्गफुट (मकान)

भूखण्ड क्रमांक	रकबा (वर्गफुट में)
(1)	(2)
2107/2 (बी)	999
योग 1	999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमड़ीबोड़ डोंगरगढ़ मार्ग धर्मशाला से नीचे मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 जुलाई 2013

प्र. क्र. 01/अ 82 वर्ष 2012, 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-नेवासपुर, प.ह.नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 15.430 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.757
64	0.445
65/2	0.405
66/1	0.166
66/2	0.166
66/3	0.166
66/4	0.167
74/2	0.640
77/2	0.800
78/1	1.614
78/2	1.619
78/3	0.960
80	1.539
88/2	0.506
88/3	0.506
88/4	0.506
88/5	0.506
88/6	0.823
90/1	0.785
90/2	0.785
90/3	0.785
90/4	0.784
योग	15.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांधपार डुबान [illegible].

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/वर्ष 2012 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कुकुर्दीकेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.98 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	975	0.10
	976/2	0.08
	977	0.04
	993/2	0.10
	994/2	0.12
	994/1	0.12
	993/1	0.10
	997	0.36
	998	0.48
	999	0.48
योग	10	1.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी एनीकट योजना के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2011 12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.990 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	481/18	0.405
	481/32	0.270
	481/77	0.270
	481/23/घ	0.045
योग	4	0.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोलारनाला एनीकट क्र. 2 के डुब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमादरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
636/6	0.668
623/36	0.486
योग	1.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना घुनघुट्टा के डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-तिहपटरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.466 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
481	0.667
480	0.647
477	1.152
योग	2.466

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना घुनघुट्टा के डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-शिवपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1	0.088

(1)	(2)
16/1	0.137
514/24	0.170
6/2	0.060
78/2	0.060
514/19	0.032
5	0.016
22/1	0.245
514/22	0.028
4/2	0.050
23/1	0.040
13/2	0.032
23/4	0.120
19/2	0.032
23/5	0.064
योग	1.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना के अन्तर्गत नवाबांध माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.964 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
517	1.762
232/5	0.202
योग	1.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना घुनघुट्टा के डुब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प.ह.नं. 19/24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
489	0.20
499	0.02
493	0.16
500	0.26
701	0.01
512	0.09

(1)	(2)
700	0.09
513	0.02
706	0.01
698	0.07
663	0.08
665/2	0.02
666	0.24
668/1	0.02
775	0.05
776	0.08
662/4	0.05
707/6	0.04
707/7	0.10
699/1	0.11
791	0.12
788	0.22
783	0.14
782	0.03
509/1	0.04
509/2	0.12
509/4	0.04
511/1	0.10
511/2	0.08
511/4	0.03
707/4	0.13
511/3	0.08
707/2	0.10
707/3	0.10
707/5	0.01
665/1	0.01
699/2	0.08
662/2	0.08
662/3	0.09
662/7	0.06
योग 40	3.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-पैरी, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.04 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	939	0.04
योग	1	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 03/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-सनौद, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.51 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	545	0.03
	549/2	0.02
	549/1	0.05
	540	0.13
	548	0.02
	549/3	0.01
	538	0.05
	795	0.02
	541	0.01
	539	0.10
	522	0.05
	529	0.03
	533	0.06
	534	0.01
	532	0.05
	528	0.01
	525	0.05
	518	0.10
	512	0.14
	509	0.03
	511	0.04
	510	0.05
	503	0.08
	505	0.01
	504	0.10
	501	0.14
	527	0.02
	502	0.10
योग	28	1.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू. अ.प्र.क्र. 04/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-कोटगांव, प.ह.नं. 18/22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1083	0.48
	1008	0.16
	1007/1	0.16
	999/1	0.06
	1006	0.10
योग	5	0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू. अ.प्र.क्र. 05/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-कोड़ेवा, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1340	0.04
	1344	0.05
	1346	0.02
	1347	0.1
	1348	0.04
	1378	0.03
	1379/4	0.02
	1377	0.01
	1379/3	0.05
	1388	0.13
	1381	0.05
	1383	0.05
	1384	0.05
	1385	0.01
	1407	0.05
	1433	0.06
	1409	0.01
	1422	0.04
	1432	0.10
	1421	0.04
	1425	0.09
	1420	0.01
	1410/3	0.02
	1410/1	0.05
	1410/2	0.03
	1379/2	0.01
योग	22	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के कोड़ेवा माइनर के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 06/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-मोहलई, प.ह.नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
241/7	0.01
241/8	0.09
262/1	0.16
243	0.31
181	0.30
259/3	0.03
242/1	0.15
260	0.13
261	0.04
265	0.26
95	0.06
180	0.20
178	0.07
179	0.16
107	0.13
109	0.26
110	0.01
131	0.01
132	0.23
137	0.08
46	0.06
128	0.17
241/1	0.03
130/2	0.09
241/9	0.07

	(1)	(2)
	130/1	0.07
	106/1	0.15
	259/4	0.17
	108	0.02
योग	29	3.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	626	0.01
	624	0.02
	614	0.11
	610	0.07
	611	0.05
	605	0.06
	602	0.08
	603	0.04
	606	0.06
	687	0.05
	663	0.04
	686	0.01
	665	0.04
	685	0.02
	664	0.06
	678	0.01
	613	0.04
	615/3	0.01
	672/3	0.01
	688	0.09
	684	0.14
	625	0.06
योग	22	1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नवागांव माइनर के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-चंदनबिरही, प.ह.नं. 18/21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
476	0.06

(1)	(2)
475	0.1
468	0.09
469	0.09
467	0.01
461	0.02
464	0.16
462/8	0.04
31/2	0.06
452	0.06
34	0.10
453/2	0.04
454	0.08
262	0.45
267	0.08
268	0.04
422	0.22
421	0.01
420	0.14
73	0.19
394	0.39
72	0.19
392	0.39
61	0.22
62	0.08
63	0.13
39	0.04
32	0.01
33	0.10
413/1	0.10
413/2	0.07
64/1	0.01
453/1	0.13
64/2	0.14
38/5	0.02
31/1	0.08
423/1	0.09
423/2	0.16
460/1	0.05
460/2	[illegible]
37/1	0.18
37/3	0.13
414	0.03
37/4	0.10
37/2	0.12
35/2	0.06
35/1	0.05
योग 47	5.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू. अ.प्र.क्र. 09/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला बालोद
- (ख) तहसील गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खेरुद, प.ह.नं. 19/24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1273	0.10
1260/1	0.02
1272	0.08
1270	0.12
1258	0.01
1259	0.01
1271/1	0.10
1245	0.02
1269/1	0.08
1244	0.05
1189	0.01
1190	0.16

(1)	(2)
1192	0.13
1242	0.01
1206	0.11
218	0.08
220	0.11
227	0.12
90	0.30
80	0.04
86	0.01
78	0.07
1271/2	0.03
1269/2	0.03
1195	0.11
1197	0.16
1207	0.02
79	0.18
228	0.04
1193	0.03
280	0.01
292	0.40
282	0.14
285	0.01
283	0.07
284	0.07
77/1	0.01
77/2	0.01
209	0.20
88/2	0.04
211/2	0.08
88/1	0.07
226	0.11
219	0.06
204	0.04
1262	0.34
1191	0.01
1198	0.16
70	0.01
88/3	0.04
211/1	0.07
210/1	0.05
89	0.08
योग 53	4.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू. अ.प्र.क्र. 10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खेरुद, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
45	0.04
123	0.04
179	0.02
184	0.03
227	0.02
201	0.01
202	0.06
203	0.04
103	0.06
104	0.04
190	0.03
191	0.05
200	0.04

(1)	(2)
122	0.01
185	0.02
186	0.04
188	0.04
189	0.04
192	0.03
193	0.01
101	0.01
34	0.14
43	0.04
49	0.04
44	0.06
18	0.14
187	0.02
183	0.01
योग 28	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन–प्रस्तावित मोंहलई व्यपवर्तन योजना के खेरुद माइनर के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-चिचलगोंदी, प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
879	0.05
883	0.02
884	0.03
888	0.01
899	0.02
897	0.08
896	0.03
1023	0.04
1025	0.03
1019	0.01
885/2	0.06
1037/3	0.08
1112	0.02
1106	0.01
1107	0.03
887	0.03
898	0.03
1020	0.09
885/1	0.02
1037/2	0.02
1102	0.19
886/2	0.01
882	0.04
886/1	0.03
1108	0.01
880 B	0.01
1024 B	0.03
1026 B	0.04
1105 B	0.07
योग 29	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन–प्रस्तावित मोंहलई व्यपवर्तन योजना के चिचलगोंदी माइनर के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-चौरेल, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	721	0.01
	719	0.01
	718	0.09
	717	0.09
	715	0.12
	720/2	0.10
	714	0.01
	740	0.07
	713	0.17
	739	0.08
	384	0.12
	383	0.20
	732	0.05
	733	0.05
	735	0.01
	736	0.10
	720/3	0.10
	716/1	0.01
	716/2	0.02
	381	0.09
	737	0.19
	741	0.30
	742	0.04
	743	0.18
	744	0.29
	745	0.01
	753	0.11
	752	0.21
	755	0.25
	762	0.16
	768	0.01
	769	0.12
	770	0.02
	767	0.01
	720/1	0.10
योग	35	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-रौना, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.92 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
498/1	0.01
863/1	0.07
863/2	0.03

(1)	(2)
858	0.03
859	0.12
833/2	0.01
871	0.06
738	0.01
823	0.01
825	0.12
739	0.02
824	0.01
813/1	0.03
813/2	0.03
813/3	0.03
671	0.02
672	0.03
673	0.01
643	0.02
627/1	0.03
514	0.09
627/2	0.01
813/4	0.03
741/1	0.03
512	0.01
645	0.02
740	0.03
678/2	0.03
669	0.01
679/1	0.03
679/3	0.03
513	0.03
626	0.05
644	0.05
680	0.02
821/1	0.10
674	0.03
499/9	0.06
499/8	0.01
297	0.04
295/3	0.03
296	0.03
284/1	0.02
516/1	0.02
295/1	0.03
504/1	0.03
504/3	0.02
503/1	0.03
503/2	0.01
500	0.12
502	0.03
283	0.01
861/2	0.03
860	0.03
679/2	0.01
515/2	0.02
676	0.04
योग 57	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 14/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम चिचलगोंदी, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
879	0.01
868	0.01
867	0.02
866	0.02
863	0.02
855	0.05

(1)	(2)
864	0.12
865	0.02
856	0.03
853	0.01
854	0.12
720	0.04
783	0.01
785	0.13
784/1	0.06
646	0.06
645	0.01
692	0.07
869/2	0.16
869/4	0.03
791	0.01
685/1	0.01
787/2	0.06
672/2	0.03
690/2	0.10
784/2	0.06
790	0.09
671	0.06
670	0.01
669	0.08
680	0.02
679	0.01
668	0.12
682	0.12
684	0.12
647	0.09
695/1	0.09
694/1	0.06
694/2	0.06
878	0.02
675	0.10
869/3	0.11
672/1	0.04
689	0.06
योग 44	2.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 15/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-सांकरी, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	231	0.12
	224	0.10
	2	0.33
योग	3	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के सांकरी माइनर के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 16/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बालोद
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-कांदुल, प.ह.नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.73 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1402	0.04
	1405	0.04
	1415	0.11
	1401	0.01
	1400	0.09
	1399	0.10
	1414	0.05
	1384	0.06
	1317	0.07
	1383	0.07
	1378	0.07
	1377	0.06
	1358	0.04
	1360	0.04
	1334	0.04
	1199	0.01
	1193	0.01
	1187/1	0.06
	1187/2	0.08
	1187/3	0.07
	1187/4	0.07
	1201/1	0.06
	1320	0.02
	1319	0.06
	1322	0.10
	1323	0.02
	1324	0.06
	1262	0.06
	1270	0.09
	1263	0.09
	1268	0.13
	1256	0.06
	1232	0.05
	1231/1	0.06
	1231/3	0.03
	1229	0.08
	1200	0.02
	1257/1	0.01
	1416/1	0.15
	1416/2	0.02
	1362/1	0.01
	1359/2	0.08
	1194	0.03
	1318/3	0.01
	1257/2	0.10
	1201/2	0.04
	1318/4	0.10
योग	47	2.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 17/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला बालोद
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-खुटेरी, प.ह.नं. 19/24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
969	0.16
970	0.09
974	0.01

(1)	(2)
594	0.12
595	0.05
600	0.01
599	0.13
604	0.07
602	0.10
607	0.11
575	0.16
606	0.12
632	0.04
902	0.05
603/1	0.01
971/2	0.06
971/1	0.08
608	0.10
577	0.33
965/2	0.02
968/1	0.04
968/2	0.13
968/3	0.05
968/4	0.03
968/5	0.02
योग 25	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन--प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 18/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 18/21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
633	0.02
481	0.03
636	0.02
637	0.09
634	0.03
638/1	0.09
632	0.04
630	0.01
627	0.12
628	0.03
548/2	0.04
548/3	0.04
626	0.15
554	0.22
546	0.33
108/1	0.12
106/1	0.16
545	0.03
478	0.21
469	0.22
476	0.06
107	0.14
631/1	0.06
638/2	0.02
550/1	0.01
550/2	0.12
548/1	0.01
547/4	0.09
470/1	0.09
470/2	0.09
477/1	0.11
477/2	0.02

(1)	(2)
106/2	0.08
योग 33	2.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 19/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-चंदनबिरही, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
394	0.08
395	0.01
400	0.01
412	0.04
536	0.04
397	0.03
411	0.01
399	0.05
614	0.05
533	0.11
537	0.05
538	0.01
534	0.01
585	0.02
527	0.09
586	0.08
618	0.01
617	0.02
628	0.04
1156	0.02
528	0.09
595	0.63
योग 22	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के चंदनबिरही माइनर के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र.अ.भू.-अ.प्र.क्र. 20/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-कोसेवा, प.ह.नं. 19/24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1058/2	0.06
1342	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
1343	0.01	1070	0.06
1338	0.06	1057	0.12
1340	0.22	1055	0.11
1344	0.02	1051	0.21
1339	0.18	733	0.01
1334	0.01	1417/1	0.17
1336	0.15	1058/4	0.10
1335	0.12	1332	0.06
1333	0.08	1321	0.03
1324	0.03	1416	0.22
1326	0.08	1058/3	0.07
1327	0.06		
1314	0.08	योग 35	3.08
1341/2	0.02		
747	0.09		
1312/3	0.01		
1415/1	0.04		
1313	0.12		
1071	0.15		
1073	0.08		
1069	0.11		
1072	0.03		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/2171.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/8728 रायपुर, दिनांक 13-03-2013 द्वारा श्री चंदन कुमार सहायक कलेक्टर बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बिलासपुर का पत्र क्रमांक 2799/वित्त-1/2013 दिनांक 24-06-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, बिलासपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री रणवीर शर्मा, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री चंदन कुमार सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण हेतु भारमुक्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री रणवीर शर्मा, सहायक कलेक्टर बिलासपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक 44/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पद का नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्रीमती भुवनेश्वरी कुर्रे, सदस्य जिला पंचायत, रायपुर	सदस्य
	2. श्रीमती बूगन बाई अजगल्ले, सदस्य पंचायत, रायपुर	सदस्य
	3. श्रीमती संतोषी टंडन पार्षद, नगर पालिका, बलौदाबाजार	सदस्य
3.	**जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री परमेश्वर यदु, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, रायपुर	सदस्य
	2. श्री अनिल बघेल, निवासी ग्राम लिमाही, बलौदाबाजार	सदस्य
4.	**जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बलौदाबाजार	सदस्य
	2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, बलौदाबाजार	सदस्य
5.	**जिले में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि**	
	1. लीड बैंक, बलौदाबाजार	सदस्य

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा.

I. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी,

II. विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी.

III. विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित है,

IV. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (6), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी.

5. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक 44/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग-बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पद का नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्रीमती रत्ना चंदेल, जनपद सदस्य, बलौदाबाजार	सदस्य
	2. श्री ओमप्रकाश ध्रुव, जनपद सदस्य, बलौदाबाजार	सदस्य

(1)	(2)	(3)
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री नंद कुमार साहू, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, बलौदाबाजार	सदस्य
	2. श्री बी. पी. ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, बलौदाबाजार	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदाबाजार	सदस्य
	2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, बलौदाबाजार	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बलौदाबाजार	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार बलौदाबाजार	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (अ) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक 44/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पद का नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्रीमती जानकी महिलांग, सदस्य, जनपद पंचायत, सिमगा	सदस्य
	2. श्रीमती चंद्रिका ध्रुव, सदस्य, जनपद पंचायत सिमगा	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्रीमती आदिति बाघमार, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, सिमगा	सदस्य
	2. श्री राकेश तिवारी, निवासी भाटापारा	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भाटापारा	सदस्य
	2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, भाटापारा	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, भाटापारा	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, भाटापारा	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाइट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईंट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्यापता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारां 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक 44/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग-बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पद का नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्रीमती प्रेमलता नेताम, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बिलाईगढ़	सदस्य
	2. श्रीमती नीला देवी पुरैना, सदस्य, जनपद पंचायत, कसडोल	सदस्य

(1)	(2)	(3)
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री सनम जांगड़े, निवासी ग्राम बिलाईगढ़	सदस्य
	2. श्री संतोष साहू, निवासी ग्राम पंडरीपानी, बिलाईगढ़	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बिलाईगढ़	सदस्य
	2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बिलाईगढ़	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बिलाईगढ़	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, बिलाईगढ़	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th July 2013

No. 385/Confdl./2013/II-3-1/2013.--The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in column No. (3) of the table below with a direction to take over charge by 23-07-2013 positively :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II (2)	Posted As & At (3)
1.	Shri Pawan Kumar Agrawal S/o Late Shri Tarachand Agrawal, New Khursipar, Sangam Chowk, Bhilai Thana, District-Durg (C.G.)	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Pankaj Dixit, S/o Shri Nand Dulare Dixit, J-Sector, House No. 60, Ayodhya Nagar, Bhopal (M.P.)	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 9th July 2013

No. 492/L. G./2013/II-2-7/2003.—Shri Arvind Singh Chandel, the then District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-02-2013 to 08-02-2013 and permission to suffix holidays of 09th & 10th Feb., 2013 (02nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters during period earned leave for 08 days from 12-03-2013 to 19-03-2013 and permission to suffix holidays of 09th & 10th Feb., 2013 (02nd Saturday and Sunday) along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 07 days from 08-06-2013 to 14-06-2013 and permission to suffix holidays of 15th & 16th June, 2013 (03rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 155 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 9th July 2013

No. 498/L. G./2013/II-3-19/2000.—Shri Sandeep Buxy, the then District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted commuted leave for 14 days from 20-09-2012 to 03-10-2012, earned leave for 04 days from 15-04-2013 to 18-04-2013 and permission to prefix holidays of 13th & 14th April, 2013 (02nd Saturday & Sunday) & Suffix holidays of 19th to 21st April, 2013 (Ramnavmi, 03rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 13-04-2013 till 21-04-2013 and earned leave for 14 days from 29-04-2013 to 12-05-2013 in continuation of summer vacation and permission to prefix holiday of 28th April, 2013 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 28-04-2013 till 20-05-2013.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Buxy, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 386 days of half-pay-leave and 299 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (Admn.).